न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट (अनन्य) जौनपुर।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–204/2025
सी0एन0आर0–UPJP010046382025

गोविन्द सोनकर उर्फ गोलू पुत्र प्यारेलाल, ग्राम शेखजादा, थाना केराकत, जिला जौनपुर।
आवेदक/अभियुक्त

–बनाम–

1–उ0प्र0 राज्य जरिए जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर।
2–सी.डब्लू.सी. जौनपुर।
3–डी.एल.एस.ए. जौनपुर।
4–एच.सी.एल.ए. इलाहाबाद।
5–पीड़िता।

–विपक्षीगण।

मु0अ0सं0–457/20254
धारा–137(2), 87, 61(2), 64(1) बी0एन0एस0
धारा–5/6 पॉक्सो ऐक्ट,
थाना–केराकत, जौनपुर।

दिनांक–05.06.2025

आवेदक/अभियुक्त गोविन्द सोनकर उर्फ गोलू की तरफ से मु0अ0सं0–457/2024, धारा–137(2), 87, 61(2), 64(1) बी0एन0एस0 व धारा–5/6 पॉक्सो ऐक्ट, थाना केराकत, जनपद जौनपुर के अन्तर्गत जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जमानत आवेदन के साथ शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन के साथ यह भी कथन किया गया है कि उसका कोई अन्य जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा महमूद आलम द्वारा थाने पर इन कथनों की तहरीर दी गयी कि उसकी लड़की खुशनुमा (रिया) जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष 7 माह है। दिनांक 09.12.2024 दिन सोमवार को समय लगभग 02:00 बजे के आस–पास घर में दिखायी नहीं दी तो हम प्रार्थी व परिवार के लोग अगल–बगल व आस–पास तथा गाँव व क्षेत्र में तथा अपनी सारी रिष्देतारियों में काफी खोजबीन व पता किया मगर मेरी पुत्री का कही भी पता नहीं चल पा रहा है। प्रार्थी बिल्कुल लाचार व विवश हो गया है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थनापत्र में जमानत हेतु यह आधार लिया गया है कि वह निर्दोष है। आवेदक व पीड़िता दोनों थाना गद्दी बाजार से व्यवसाय करते थे। आवेदक फल का व्यवसाय करता था व पीड़िता अपनी दादी के साथ चूड़ी का व्यवसाय करती थी। अगल–बगल दुकान होने की वजह से दोनों में बातचीत भी होती थी, जिस वजह से पीड़िता आवेदक को अपने घर भी कभी–कभी बुला लिया करती थी। धीरे–धीरे दोनों में नजदीकिया बढ़ती गयी। पीड़िता को आवेदक न तो अपने साथ बहला–फुसला कर ले गया था और न ही उसे शादी करने का झांसा दिया था और न ही अपने साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किया था। पीड़िता ने अपने धारा 180 बी0एन0एस0 के बयान में शादी होने के बाद पति पत्नी की हैसियत से सहमति से शारीरिक सम्बन्ध का कथन किया है। पीड़िता चिकित्साधिकारी जौनपुर के उम्र निर्धाराण के अनुसार लगभग 18 वर्ष की मेडिकल रिपोर्ट में होना पायी गयी है। विवेचक द्वारा संकलित कृषक इण्टर कॉलेज थाना गद्दी, केराकत जनपद जौनपुर के कक्षा 08 पास का अंकपत्र सन् 2023–24 पीड़िता के अंकपत्र की छायाप्रति है, जो प्रमाणित नहीं है। तथा कॉलेज थाना गद्दी जौनपुर के प्रधानाचार्य का प्रमाण–पत्र भी संदेहास्पद है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 18.03.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः प्रार्थना है कि आवेदक को जमानत मुचलका पर रिहा करने की कृपा करें।

Digitally signed by UMESH KUMAR
Date: 2025.06.28 11:57:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा सूचित किया गया कि वादी मुकदमा पर नोटिस तामील है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया है तथा कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा एक नाबालिग पीड़िता को बहला–फुसलाकर उससे शादी की गयी तथा उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित गया है। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है। ऐसे मामलों में नाबालिग पीड़िता की सहमति का कोई विधिक महत्व नहीं होता। यदि ऐसे मामलों में अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाता है तो समाज पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में लिये गये आधारों पर जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

सुना व पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार घटना दिनांक 09.12.2024 की है। केस डॉयरी के साथ संलग्न पीड़िता के शैक्षणिक प्रपत्रों में पीड़िता की जन्मतिथि 02.05.2009 अंकित है। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 व 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अपनी उम्र 16 वर्ष बताया है। इस प्रकार केस डॉयरी के अवलोकन से इस स्तर पर पीड़िता का घटना की तिथि पर नाबालिग होना स्थापित है। बचाव पक्ष द्वारा घटना की तिथि पर पीड़िता की उम्र के सम्बन्ध में न तो कोई तर्क प्रस्तुत किया गया है, न ही कोई ऐसी विसंगति दर्शित की गई है, जिससे घटना की तिथि पर पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना स्थापित होता हो। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अभियुक्त की दोस्त आँचल के साथ वाराणसी जाने और वहाँ से बम्बई जाने तथा अभियुक्त के साथ शादी करके पति–पत्नी की तरह रहते हुए शारीरिक सम्बन्ध बनाये जाने का समरूप कथन किया है। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यह भी कथन किया है कि दिनांक 09.12.2024 को मैं अपने घर पर थी तभी गोविन्द मुझे अपनी कसम देकर दो घण्टे के लिये कराकरत के पहले चौराहे पर मिलने बुलाया। गाविन्द से मैं एक साल से सम्बन्ध में हूँ। मैंने गोविन्द के कहने पर उससे आंचल के सामने आंचल के घर पर शादी कर ली , मे गोविन्द के साथ वापस आई। यहां पर गोविन्द की मां पापा ने हमे पकड लिया और हमे केराकत थाना ले गये। 26.12.2024 को गोविन्द ने मेरे साथ मना करने के बाद भी शारीरिक सम्बन्ध बनाया। मेरे मना करने पर भी वो मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाता था। मैं ढाई महीने से प्रेगेनेन्ट हूँ। मैं मेरे माँ .– बाप के साथ रहना चाहती हूँ। मैं गोविन्द के साथ नहीं जाना चाहती। इस प्रकार उपरोक्त विवेचित तथ्यों के विवेचन से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा नाबालिग पीड़िता की मानसिक अपरिपक्वता का लाभ उठाते हुए उसके साथ शादी करके शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया। इस स्तर पर अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त के जमानत आवेदन में किये गये तथ्यात्मक कथन इस स्तर पर विचारणीय नहीं हैं, क्योंकि यह सुस्थापित विधि है कि जमानत के स्तर पर मामले के गुण–दोष पर विचार नहीं किया जाना है। अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, अपराध की गंभीरता, व्यापक लोकहित तथा सामाजिक परिणाम पर विचार करने के उपरोक्त अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

–आदेश–

अभियुक्त गोविन्द सोनकर उर्फ गोलू का जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

प्र0 अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो ऐक्ट (अनन्य)
जौनपुर।